



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062022-236861
CG-DL-E-27062022-236861

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2772]
No. 2772]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून 2022

का.आ. 2912(अ).—अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 50) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, का.आ. सं. 2527(अ) दिनांक 30 जुलाई, 2020 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।
अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, मौजूदा प्रविष्टि के लिए क्रम संख्या 3 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा,
अर्थात् :-

"सुश्री ममता सूरी,

कार्यकारी निदेशक,

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ...सदस्य"

[फा. सं. 4/1/2020-आरई]

डॉ. शशांक सक्सेना, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

पाद टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में 30 जुलाई, 2020 के का.आ. 2527(अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या 57(अ) दिनांक 6 जनवरी, 2021 और का.आ. 2099(अ) दिनांक 1 जून, 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2022

S.O. 2912(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No. 50 of 2019), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, number S.O. 2527(E) dated 30th July, 2020 namely: -

In the said Notification, against serial number 3, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :-

“Ms. Mamta Suri,
Executive Director,
Insurance Regulatory and Development Authority of India Member”

[F. No. 4/1/2020-RE]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Sr. Economic Adviser

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2527(E) dated the 30th July, 2020 and subsequently amended vide notification number S.O. 57(E) dated 6th January, 2021 and S.O. 2099(E) dated 1st June, 2021.